न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 33/2019

1 रामेश्वर पुत्र भारू।
2 हरिराम पुत्र घीसा समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बल्लुपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बलबीर सिंह पुत्र मोहन।
2 दुर्गा देवी पुत्री मोहन।
3 सदी देवी पत्नी मोहन।
4 रामचन्द्र पुत्र भारू।
5 श्योभगवान पुत्र तनाराम।
6 लिछमी देवी पत्नी तनाराम।
7 गोपाल पुत्र मुन्ना।
8 प्यारू देवी पत्नी मुन्ना।
9 सुवटी देवी पत्नी भारू।
10 लालाराम पुत्र गंगा।
11 भगवानी देवी पत्नी गंगा।
12 छिगनलाल पुत्र गंगा।
13 गलकुड़ी पत्नी घीसा।
14 शिवभगवान पुत्र घीसा।
15 सन्तोष पुत्री घीसा समस्त जाति जाट निवासीगण बल्लुपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
16 शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धोद जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल शाखा कृषि उपज मंडी सीकर।
18 शाखा प्रबन्धक केन्द्रिय सहकारी बैंक शाखा धोद जिला सीकर।
19 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।
20 पटवारी हल्का बोसाणा तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 29.05.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद उनवानी आवेदन पत्र मोहन बनाम रामेश्वर आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 33/2017 जिसके तहत रेस्पोडेंट 1 ता 3 का आवेदन स्वीकार किया गया।

अपील संख्या 74/2019

1 रामचन्द्र पुत्र भारू जाति जाट निवासी ग्राम बल्लुपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बलबीर सिंह पुत्र मोहन।
2 दुर्गा देवी पुत्री मोहन।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 सदी देवी पत्नी मोहन।
4 रामेश्वर पुत्र भारू।
5 हरिराम पुत्र घीसा।
6 श्योभगवान पुत्र तनाराम।
7 लिछमी देवी पत्नी तनाराम।
8 गोपाल पुत्र मुन्ना।
9 सुवटी देवी पत्नी भारू।
10 लालाराम पुत्र गंगा।
11 भगवानी देवी पत्नी गंगा।
12 छिगनलाल पुत्र गंगा।
13 गलकुड़ी पत्नी घीसा।
14 शिवभगवान पुत्र घीसा।
15 सन्तोष पुत्री घीसा समस्त जाति जाट निवासीगण बल्लुपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
16 शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धोद जिला सीकर।
17 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल शाखा कृषि उपज मंडी सीकर।
18 शाखा प्रबन्धक केन्द्रिय सहकारी बैंक शाखा धोद जिला सीकर।
19 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।
20 पटवारी हल्का बोसाणा तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 29.05.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद उनवानी
आवेदन पत्र मोहन बनाम रामेश्वर आदि आवेदन
अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर 33/2017 जिसके तहत रेस्पोडेंट
1 ता 3 का आवेदन स्वीकार किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री झबरमल रॉयल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुखदेव सिंह महला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 27.8.21

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा संख्या 33/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीले एक ही आदेश के विरूद्व होने से दोनो अपीलों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के पिता मोहन ने विचारण न्यायालय में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पेश कर अपने खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 427/339 रकबा 1.83 हैक्टेयर वाके ग्राम बल्लुपुरा तहसील धोद जिला सीकर में आवागमन का रास्ता अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 288 एवं 287 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे फिर दक्षिण दिशा में होते हुए बताकर नये रास्ता की मांग की गई थी। दौराने विचारण उक्त मोहन का स्वर्गवास होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 को बतौर कायम मुकाम संयोजित किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि आत्यंतिक आवश्यकता होने एवं वैकल्पिक रास्ता नही होने पर इस धारा के प्रावधानों के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। विचाराधीन आदेश द्वारा दिया गया रास्ता लघुतम नही है एवं प्रार्थी के पास पूर्व से वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। इस तथ्य की पुष्टि मौका रिपोर्ट तहसीलदार से होती है। इसमें अंकन है कि प्रार्थी के पूर्व से रास्ता मौजुद है, यह रास्ता नक्शे में डोटेड लाईन से दर्शित है। रिपोर्ट में अंकन है कि मौके पर रास्ता बंद है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 251ए के अन्तर्गत नया रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि डोटेड लाईन से दर्शित रास्ता मौके पर प्रचलन में नही है। अपीलांट ने यह रास्ता वर्तमान में प्रचलित होने का कथन नही किया है। प्रार्थी के खेत से लगता हुआ अन्य कोई रास्ता नही है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार निर्णय कर अपीलांट के खेत की सीमा के सहारे–सहारे रास्ता प्रस्तावित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि आत्यंतिक आवश्यकता होने एवं वैकल्पिक रास्ता नही होने पर इस धारा के प्रावधानों के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। विचाराधीन आदेश द्वारा दिया गया रास्ता लघुतम नही है एवं प्रार्थी के पास पूर्व से वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। इस तथ्य की पुष्टि मौका रिपोर्ट तहसीलदार से होती है। इसमें अंकन है कि प्रार्थी के पूर्व से रास्ता मौजुद है, यह रास्ता नक्शे में डोटेड लाईन से दर्शित है। रिपोर्ट में अंकन है कि मौके पर रास्ता बंद है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 251ए के अन्तर्गत नया रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है।

विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजात का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजात का अवलोकन कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.8.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर